कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
29/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान केम्प बसावा मे पेश हुई। वादी उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 2977 दिनांक 17/11/17 पत्रावली पर प्राप्त है जिसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से मन न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है। उपस्थित वादी ने भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त कि है। अतः उक्त वाद मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ वादी द्वारा सहमति प्रकट करने पर निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है। ख०नं० 106 के स्थान पर ख०नं० 108 मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट अनुसार दुरुस्त किया जाकर नक्से मे तरमीम। नक्शा दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। ख०नं० 142 कि नक्सा लट्ठा मे पुरानी शीट 1979-80 के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल [illegible] करें। पृथक से डिक्री जारी की [illegible] को तहरीर जारी की जावे। पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील आज दाखिल दफ्तर हो।	तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 2977 दि० 17/11/17 के अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। जिसमे मेरी पूर्ण रूप से सहमति है। [signature]

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्रीमती सुमन सोनल (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत वाद वास्ते नक्शा दुरूस्ती

मुकदमा सं०:– 190/17 (मालाराम वगै० बनाम राज० सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर०ए०एस०),उपखण्ड धिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28/10/2021 निर्णयानुसार ~~राजस्व ग्राम~~ राजस्व ग्राम चाला की ढाणी के ख०नं० 106 स्थान पर ख०नं० 108 मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नक्शे मे अंकन दुरूस्त एवं दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। ख०नं० 152 कि नक्सा लट्ठा मे पुराने सीट 79-80 के अनुसार तरमीम किये जाने आदेश दिये जाते है तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन.........–.............. मुबलिग...........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28....माह 10.. सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपया पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4 .00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	2 .00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2 .00	मुतफरिक मिजान	.00

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गाँवों के संग अभि. 2021, पं.स. नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

6

न्यायालय एस.डी.ओ साहब,
नवलगढ़।

मालाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट उम्र 74 वर्ष निवासी चारण की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान 7597669699

— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

— प्रतिवादी

वाद वास्ते नक्शा दुरूस्ती

महोदय,

वाद वादी निम्न प्रकार पेश है —

1. यह कि ग्राम चारण की ढ़ाणी की सरहद में भूमि हाल खसरा नं0 100, 101, 103, 108, 142, 538/99, 539/104, 540/107 रकबा क्रमशः 0.01., 0.03, 0.05, 0.08, 0.06, 1.62, 0.41, 0.86 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 3.1200 हैक्टर स्थित है। वादी जिसका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त हाल खसरा नं0 राजस्व ग्राम परसरामपुरा से नया राजस्व ग्राम चारण की ढ़ाणी बने तब बनाया गये है। उक्त हाल खसरा नम्बर 100 के नये भूमि बन्दोबस्त के खसरा नं0 3815 रकबा 0.01 हैक्टर, हाल खसरा नं0 101 के 3814 रकबा 0.06 हैक्टर हाल खसरा नं0 103 के 3818 रकबा 0.05 हैक्टर, हाल खसरा नं0 108 के 4814/3830 रकबा 0.08 हैक्टर, हाल खसरा नं0 142 के 4815/3800 रकबा 0.06 हैक्टर, हाल खसरा नं0 538/99 के 3816 हाल खसरा नं0 539/104 के 3819 हाल खसरा नं0 540/107 के 3729 खसरा नं0 थे तथा उक्त नये भूमि बन्दोबस्त के नये खसरा नम्बर 3814 व 3815 गत पेमाईस के खसरा नम्बर 2962 से बने हुए हैं व नये भूमि बन्दोबस्त के नये खसरा नं0 3818, 4814/3830, 4815/3800, 3816, 3819 व 3729 पुरानी पेमाईस के गत खसरा नं0 3166 से बने हुए हैं।
2. यह कि वादी के गत खसरा नं0 3166 की सीमा से सटकर ना ही मौके पर कोई रास्ता था व ना ही मौके पर अब कोई रास्ता है तथा गत भूप्रबन्ध के नक्शा ट्रेश में भी राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता खसरा नं. 3169 जो राजकीय जोहड़ है जो वादी के खेत से सटकर दक्षिण दिशा में है, की सीमा से सटकर कोई रास्ता नही था। लेकिन नये भू-

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रबन्ध में भू प्रबन्ध अधिकारियों ने वादी के खेत गत खसरा नं0 3166 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दू के बीच दिखाये गये स्थान पर नया रास्ता दर्ज कर दिया व उक्त नाजायज रूप से दिखाये गये रास्ते के नये खसरा नं0 4815/3730 रकबा 1.14 हैक्टर डाल दिये जो कतई गलत व वादी के अधिकारों पर कुठाराघात करता है। नजरी नक्शे में दिखाये गये ए से बी बिन्दू तक मौके पर कोई रास्ता नहीं है। ना कभी पहले था। इसलिए उक्त डबल लाईन से दिखाये गये रास्ते नये खसरा नं0 4815/3730 जिसके हाल खसरा नं0 106 है0 को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस से हटाया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ता रिकार्ड में बने रहने से वादी के समक्ष कभी भी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा वादी के खेत गत खसरा नं0 3166 की नजरी नक्शे की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की लाईन जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाई गई है। को गलत रूप से वादी के खेत में घुमाव देकर वादी के खेत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा में घुसाकर वादी के खेत के नक्शे को छोटा कर दिया है। जिसे लाल स्याही से दिखाये गये स्थान को वादी के खेत हाल खसरा नं0 107 में मिलाया जाकर नक्शा ट्रेश की लाईन को दक्षिण दिशा में खिसकाकर सीधा किया जावे व हाल खसरा नं0 106 रकबा 1.14 हैक्टर जिसे रास्ता दर्ज कर रखा है, उसे दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं0 106 की आम रास्ते के रूप में दर्ज खातेदारी हटाई जाकर वादी को इसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है, जो किया जावे।

3. यह कि उक्त वाद के लिए वादाधिकार वादी को राजस्व रिकार्ड के नक्शे की नकल लेने के रोज जान[illegible] पर दिनांक 19.09.2017 को हुई। जो अन्दर मियाद है।

4. यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। जिस कारण श्रीमान को वाद सुनने का पूरा श्रवणाधिकार है।

5. यह कि वाद अन्दर मियाद सेवा में पेश है।

6. यह कि वाद 4 रूपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः वाद पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर आदेश इस उमर का फरमाया जावे की नये भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादी के खेत हाल खसरा नं0 107 में राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में दर्ज किये गये रास्ते जिसके खसरा नं0 106 है, को दुरूस्त किया जावे। [वादी के खेत ख.नं. 107 के] राजस्व रिकार्ड व नक्सा ट्रेस से रास्ता हटाया जावे। रास्ते की डबल लाईन हटाई जावे व हाल खसरा नं0 106 [में आई हुई वादी के खेत ख.न 107 की भूमि] का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भाग को वादी के नक्शा ट्रेस में शामिल किया जाकर वादी के खेत हाल खसरा नं0 107 की दक्षिणी सीमा को दक्षिणी पश्चिमी कार्नर के पास सीधा करने का आदेश फरमाया जावे।। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

(ख) यह कि अन्य सिद्धि चाही जाने से रह गई हो ओर वादी के हक में पड़ती है, वादी को दिलाई जावे।

(ग) हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

दिनांकः–

प्रार्थी

मालाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट
निवासी चारण की ढ़ाणी तहसील
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक

मैं, मालाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी चारण की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान का हूँ जो कि शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र में दर्ज मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य एंव सही है। जिसे में सत्य एवं सही होना स्वीकार करता हूँ।